



राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

पौष 13, बुधवार, शाके 1939-जनवरी 3, 2018
Pausa 13, Wednesday, Saka 1939-January 3, 2018

भाग 5 (घ)

भारत के निर्वाचन आयोग की विज्ञप्तियां आदि।

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 3, 2018

संख्या एफ.3(1)(8)प्रथम/निर्वा/2017/डी-838 :- भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की निम्न अधिसूचना सर्व साधारण के सूचनार्थ पुनः प्रकाशित की जाती है।

अश्विनी भगत,
शासन सचिव।

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

दिनांक: 3 जनवरी, 2018
13 पौष, 1939 (शक)

अधिसूचना

संख्या 100/राज.-लोकसभा/2018/उत्तर-I(2)- यतः, राजस्थान राज्य की 13-अजमेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा में निर्वाचित श्री सांवर लाल जाट की सीट उनकी मृत्यु होने के फलस्वरूप 9 अगस्त, 2017 को रिक्त हो चुकी है; और

यतः, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के उद्देश्य से एक उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है:-

अब, इसलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951(1951 का 43) की धारा 149 की उपधारा(1) और धारा 30 एवं 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा निम्नलिखित नियत करता है-

(अ) राजस्थान राज्य में 13-अजमेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और इसके अंतर्गत बने नियमों एवं किए

गए आदेशों के अनुसार, लोक सभा में उक्त रिक्ति को भरने के उद्देश्य से एक व्यक्ति को 3 फरवरी, 2018 (शनिवार) से पहले निर्वाचित कर दिया जाए;

(आ) उक्त निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:-

- (i) नामांकन भरने की अंतिम तारीख- 10 जनवरी, 2018 (बुधवार);
- (ii) नामांकनों की संवीक्षा-की तारीख 11 जनवरी, 2018 (बृहस्पतिवार);
- (iii) अभ्यर्थिताएँ वापिस लेने की अंतिम तारीख- 15 जनवरी, 2018 (सोमवार);
- (iv) मतदान, यदि आवश्यक हुआ, आयोजित किए जाने की तारीख- 29 जनवरी, 2018 (सोमवार) और
- (v) वह तिथि जिससे पूर्व निर्वाचन संपन्न करवा लिया जाएगा- 03 फरवरी, 2018 (शनिवार).

(इ) 8.00 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में निर्धारित किया जाता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो ऊपर निर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,

प्रमोद कुमार शर्मा,

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

Dated: 3rd January, 2018

13 Pausa, SAKA 1939

NOTIFICATION

No. 100/RJ-HP/2018(2): - WHEREAS, the seat of Sh. Sanwar Lal Jat, in the House of People elected from 13-Ajmer Parliamentary Constituency, in the State of Rajasthan, has become vacant on 9th August, 2017 by the reason of his death; and

WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

Dated: 3rd January, 2018

NOW, THEREFORE, in pursuance of sub-sections (1) of Section 149, and Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

- (A) **calls upon** the said **13-Ajmer Parliamentary Constituency** in the State of Rajasthan to elect, before the 3rd February, 2018 (Saturday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the House of the People;
- (B) **appoints**, with respect to said election :-
- i. the **10th January, 2018 (Wednesday)**, as the last date for making nominations;
 - ii. the **11th January, 2018 (Thursday)**, as the date for the scrutiny of nominations;
 - iii. the **15th January, 2018 (Monday)**, as the last date for the withdrawal of candidatures;
 - iv. the **29th January, 2018 (Monday)**, as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
 - v. the **3rd February, 2018 (Saturday)**, as the date before which the election shall be completed; and
- (C) **fixes the hours from 8.00 A.M. to 6.00 P.M.**, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By Order,

**PRAMOD KUMAR SHARMA,
SECRETARY TO THE,
ELECTION COMMISSION OF INDIA.**

Government Central Press, Jaipur.



राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

पौष 13, बुधवार, शाके 1939-जनवरी 3, 2018
Pousa 13, Wednesday, Saka 1939-January 3, 2018

भाग 5 (घ)

भारत के निर्वाचन आयोग की विज्ञप्तियां आदि।

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 3, 2018

संख्या एफ.3(1)(8)प्रथम/निर्वा/2017/डी-837 :-भारत निर्वाचन
आयोग, नई दिल्ली की निम्न अधिसूचना सर्व साधारण के सूचनार्थ पुनः
प्रकाशित की जाती है।

अश्विनी भगत,
शासन सचिव।

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

दिनांक: 3 जनवरी, 2018
13 पौष, 1939 (शक)

अधिसूचना

संख्या 100/राज.-लोकसभा/2018/उत्तर-I(1)- यतः, राजस्थान
राज्य की 8-अलवर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा में निर्वाचित
श्री चाँद नाथ की सीट उनकी मृत्यु होने के फलस्वरूप
17 सितम्बर, 2017 को रिक्त हो चुकी है; और

यतः, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के उद्देश्य से एक उप-निर्वाचन
आयोजित करवाया जाना है:-

अब, इसलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951(1951 का 43) की
धारा 149 की उपधारा(1) और धारा 30 एवं 56 के अनुसरण में भारत
निर्वाचन आयोग एतद्वारा निम्नलिखित नियत करता है-

(अ) राजस्थान राज्य में 8-अलवर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा
करता है कि उक्त अधिनियम और इसके अंतर्गत बने नियमों एवं किए

73(2)

राजस्थान राज-पत्र, जनवरी 3, 2018

भाग 5 (घ)

गए आदेशों के अनुसार, लोक सभा में उक्त रिक्ति को भरने के उद्देश्य से एक व्यक्ति को 3 फरवरी, 2018 (शनिवार) से पहले निर्वाचित कर दिया जाए;

(आ) उक्त निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:-

- (i) नामांकन भरने की अंतिम तारीख- 10 जनवरी, 2018 (बुधवार);
(ii) नामांकनों की संवीक्षा-की तारीख 11 जनवरी, 2018 (बृहस्पतिवार);
(iii) अभ्यर्थिताएँ वापिस लेने की अंतिम तारीख- 15 जनवरी, 2018 (सोमवार);
(iv) मतदान, यदि आवश्यक हुआ, आयोजित किए जाने की तारीख- 29 जनवरी, 2018 (सोमवार) और

- (v) वह तिथि जिससे पूर्व निर्वाचन संपन्न करवा लिया जाएगा- 03 फरवरी, 2018 (शनिवार).

(इ) 8.00 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में निर्धारित किया जाता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो ऊपर निर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,

प्रमोद कुमार शर्मा,

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

Dated: 3rd January, 2018
13 Pausha, SAKA 1939

NOTIFICATION

No. 100/RJ-HP/2018(1): - WHEREAS, the seat of Sh. Chand Nath, in the House of People elected from 8-Alwar Parliamentary Constituency, in the State of Rajasthan, has become vacant on 17th September, 2017 by the reason of his death; and

WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

NOW, THEREFORE, in pursuance of sub-sections (1) of Section 149, and Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

- (A) **calls upon** the said **8-Alwar Parliamentary Constituency** in the State of Rajasthan to elect, before the 3rd February, 2018 (Saturday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the House of the People;
- (B) **appoints**, with respect to said election :-
- i. the **10th January, 2018 (Wednesday)**, as the last date for making nominations;
 - ii. the **11th January, 2018 (Thursday)**, as the date for the scrutiny of nominations;
 - iii. the **15th January, 2018 (Monday)**, as the last date for the withdrawal of candidatures;
 - iv. the **29th January, 2018 (Monday)**, as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
 - v. the **3rd February, 2018 (Saturday)**, as the date before which the election shall be completed; and
- (C) **fixes the hours** from **8.00 A.M. to 6.00 P.M.**, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By Order,

PRAMOD KUMAR SHARMA,
SECRETARY TO THE,
ELECTION COMMISSION OF INDIA.

Government Central Press, Jaipur.